लालसोट जिला दौसा (राज.)

9-11-23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षजान
प्रार्थना पत्र कानिलपि हस्तक सोहि खारिज
जावे ग्रा० सिसरू खिराउला पत्रावली बाद
फैसल दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

पारित हस्ताक्षर

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 56 / 22

दिनांक रजु :– 08 / 09 / 2022

उनवान

1. प्रियवरदा पत्नी घनश्याम जाति खटीक निवासी ग्राम कोटखावदा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज0
2. मुकेश कुमार पुत्र विधाधर जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा जिला झूंझुनू राज0

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. कमलेश } पि0 प्रभूदयाल
2. पूर्णमल }
3. कान्ती बाई पुत्र प्रभूदयाल
4. कन्हैयालाल } पि0 चन्द्रा
5. जगदीश }
6. रामसहाय }
7. रामगोपाल }
8. भागोती पत्नी स्व. चन्द्रा
9. रामजीलाल } पि0 स्व. सुवा
10. राधेश्याम }
11. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. कैलाश
12. ललिता } पुत्रीयान स्व. कैलाश
13. पार्वती }
14. रेखा }
15. अनिता }

} समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम संवासा तहसील निर्झरना जिला दौसा राज0

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

16.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक : 9/1/23

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज का अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट इस न्यायालय मे पेश कर आराजी खसरा नं0 671/163 रकबा 06 बीघा, खसरा नं0 672/163 रकबा 04 बीघा, खसरा नं0 673/163 रकबा 1,2898 हैक्टेयर, खसरा नं0 674/163, ख0नं0 676/163 वाकै ग्राम संवासा तहसील निर्झरना जिला दौसा स्थित है के मौके पर कब्जे के उपरान्त भी राजस्व कर्मचारीयो ने बिना मौके की जांच किए ही उक्त नम्बरान की तरमीम नक्शा ट्रेस मे कर दी जो मौके के विपरीत होने है। कानूनी प्रावधानो अनुसार तरमीम पक्षकारो की सहमति व मौके पर कब्जे अनुसार किया जाना चाहिए चूंकि उक्त तरमीम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश व बिना पक्षकारो की सहमति के मौके पर कब्जे के विपरीत की गई है जिसे निरस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

पत्रावली पेश हुई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 की और से श्री वैभव गुरावा एडवोकेट द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया जिसकी नकल प्रार्थी अधिवक्ता को दिलवायी गयी प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र नो औब्जेक्शन किया गया जिसके आधार पर संशोधित उनवानी पेश किया, जो स्वीकार किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार से बिन्दुवार जांच कर जवाब हेतू इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4727 दिनांक 01/11/2022 के द्वारा लिखा जाकर चाहा गया जिस पर तहसीलदार लालसोट द्वारा अपने पंत्राक 305 दिनांक 09/12/22 के द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

की गई तथा वकील पक्षकारान द्वारा दी गई सहमति अनुसार तरमीम दुरूस्त की जावे।

आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 671/163 रकबा 06 बीघा, खसरा नं0 672/163 रकबा 04 बीघा, खसरा नं0 673/163 रकबा 1,2898 हैक्टेयर, खसरा नं0 674/163, ख0नं0 676/163 वाकै ग्राम संवासा तहसील निर्झरना जिला दौसा स्थित तहसील निर्झरना जिला दौसा में स्थित कृषि के राजस्व अभिलेख मे दर्ज पूर्व तरमीम को विलोपित करते हुए मौके पर कब्जे काश्त अनुसार पुनः तरमीम किये जाने हेतू तहसीलदार निर्झरना को आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार निर्झरना को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9-1-23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दप्तर हो।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी लालसोट